जल्द पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त होगा

गृहमंत्री शाह ने झारखंड के हजारीबाग में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी कामयाबी बताया

नई दिल्ली 15 सितम्बर. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में नक्सल विरोधी सफल अभियान को बड़ी कामयाबी बताते हुए सोमवार को कहा कि इस अभियान के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है और जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जायेगा.

शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, आज झारखंड के हजारीबाग में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की जॉइंट टीम को एंटी

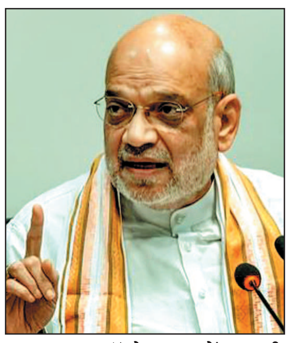

नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है. इस अभियान में एक करोड़ रुपये का इनामी और कुख्यात नक्सली कमांडर सीसीएम सहदेव सोरेन उर्फ परवेश को ढ़ेर कर दिया गया है.

साथ ही, दो अन्य इनामी नक्सलियों- रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और बिरसेन गांझू उर्फ रामखेलावन को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया. इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है. जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा. उल्लेखनीय है कि हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र के पनतीतरी जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में भाकपा (माओवादी) केन्द्रीय समिति के सदस्य और एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली कमांडर सहदेव सोरेन समेत तीन नक्सली मारे गये.

> सहदेव सोरेन लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था. हाल ही में झारखंड पुलिस ने उसके ऊपर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया था. वह कई बड़ी नक्सली घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा था, जिसके कारण पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां लगातार उसकी तलाश में थीं. झारखंड पुलिस के अधिकारियों ने इस अभियान को बड़ी सफलता करार दिया है. फिलहाल सुरक्षाबल इलाके में गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं.

गाजा में इजरायली हमले में सात फिलिस्तीनी मारे गए

गाजा, 15 सितंबर. पश्चिमी गाजा में इजरायली हवाई हमले में कम से कम सात फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हुए हैं. चीन की समाचार समिति शिन्हुआ ने स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले बताया कि इजरायल ने रविवार को पश्चिमी गाजा में व्यापक हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम सात फिलिस्तीनी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. इजरायल ने हवाई हमलों के जरिये अल-कौथर टॉवर, मुहन्ना टॉवर की ऊपरी मंजिलें व बहुमंजिला आवासीय इमारतों सहित विस्थापित लोगों के लिए फलास्तीन शिविर को भी निशाना बनाया.

बीएचईएल को राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार

नई दिल्ली, 15 सितंबर. बीएचईएल को राजभाषा के क्षेत्र में 'उत्कृष्ट कार्यान्वयन' एवं 'श्रेष्ठ हिन्दी गृह पत्रिका' के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है. ये पुरस्कार बीएचईएल के निदेशक कृष्ण कुमार ठाकुर ने 14 सितंबर को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित हिन्दी दिवस और 5वें अभा राजभाषा सम्मेलन के दौरान केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से प्राप्त किए. उल्लेखनीय है कि बीएचईएल कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए 'क क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

कश्मीर से दिल्ली के लिए चली पहली पार्सल ट्रेन

उपराज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी

श्रीनगर 15 सितंबर. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कश्मीर से दिल्ली के लिए पहली समर्पित पार्सल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.

उपराज्यपाल ने आठ पार्सल वैन और 23 टन भार क्षमता वाली इस ट्रेन को कश्मीर घाटी के बडगाम रेलवे स्टेशन से दिल्ली के आदर्श नगर के लिए हरी झंडी दिखाई. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह नयी मालगाड़ी सेवा केंद्र शासित प्रदेश के सेब उत्पादकों के लिए अपनी उपज देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने घाटी में सेब उत्पादकों और व्यापारियों के लिए व्यापार एवं व्यवसाय के अवसरों के नए युग की शुरुआत करने के लिए पीएम का आभार जताया.

> उन्होंने कि इससे परिवहन समय में उल्लेखनीय कमी आएगी तथा हजारों किसानों के लिए आय के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. कार्यक्रम के बाद सिन्हा ने कहा भौगोलिक कारणों और भारी बारिश के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग अक्सर बंद रहता है, जिससे जल्दी खराब होने वाले सामानों को भारी नुकसान होता है. रेलवे ने एक बेहतर परिवहन व्यवस्था शुरू की है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार 16 सितंबर को बडगाम से दिल्ली के लिए चलने वाली दूसरी खेप भी पूरी तरह से बुक हो चुकी है.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर मूकबधिर बच्चे करेंगे हवाई यात्रा

नई दिल्ली, 15 सितंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर 15 मूक-बधिर बच्चे हवाई यात्रा करेंगे। पूर्वी दिल्ली के पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल के प्रयास से पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित प्रमिला बाई मूक-बधिर स्कूल के 15 बच्चे और 3 शिक्षिकाएं हवाई जहाज से जयपुर जाएंगे. मोदी के 75वें जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है. पूर्व महापौर ने सोमवार को बताया कि 16 सितंबर को स्कूल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 15 होनहार मूक-बधिर छात्र-छात्राओं को हवाई जहाज से जयपुर ले जाया जाएगा.

मुंबई और पुणे में भारी बारिश से जलभराव

- निचले इलाकों में घुसा पानी
- जनजीवन अस्त-व्यस्त

मुंबई, 15 सितंबर (वार्ता) महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश के कारण मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे यातायात और दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया.

मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया दक्षिण-पश्चिम मानसून आखिरकार राजस्थान से वापसी कर रहा है. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले घंटों में मुंबई में गरज के साथ बारिश बढ़ने की संभावना है. लंबे अंतराल के बाद मुंबई के आस पास रविवार रात से बारिश ने जोरदार वापसी की है. पुणे, उसके उपनगरों और

आसपास के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश हुई है. सड़कें नदियों जैसी हो गई हैं और कई घरों में पानी घुस गया. प्रशासन राहत अभियान चला रहा है और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगा है. कुछ इलाकों में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आईएमडी ने पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है. भारी बारिश के चलते पुणे के कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. पेड़ों के गिरने और सड़कों पर जलभराव के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है. पुणे सोलापुर रोड पर लोनी कालभोर के पास बाढ़ के पानी में कई वाहन डूब गए और कुछ घरों में पानी रिसने की खबर है. शिरुर, अम्बेगांव और मुलशी तालुका जैसे ग्रामीण इलाकों में रविवार रात से मूसलाधार बारिश हो रही थी.

थानों में सीसीटीवी की कमी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने पुलिस हिरासत में कथित मौतों के मद्देनजर देश भर के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रखा लिया. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. पीठ ने मामले को 22 सितंबर के लिए स्थगित कर कहा, आदेश सुरक्षित. सोमवार को आदेश के लिए सूचीबद्ध करें.

कोरिया ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर के केस सामने आने के बाद अलर्ट

सोल, 15 सितंबर. दक्षिण कोरिया ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) के मामले सामने आने के बाद क्वारंटीन अलर्ट जारी कर दिया है. गृह और सुरक्षा मंत्रालय के मुताबिक एएसएफ का मामला रविवार रात ग्योंगगी प्रांत के योनचियोन काउंटी में एक सुअर फार्म में सामने आया.

एम. विस्वेश्वरैया की नवाचार और समर्पण प्रेरणास्त्रोत

इंजीनियर्स डे पर अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई

नई दिल्ली, 15 सितंबर. देश में इंजीनियर्स डे के अवसर पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने यह संदेश भारत के महान अभियंता और भारत रत्न सर एम. विस्वेश्वरैया की 164वीं जयंती पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया. केजरीवाल ने अपने संदेश में लिखा- एम. विस्वेश्वरैया की नवाचार, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की विरासत आज भी हम सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत है. उन्होंने उम्मीद जताई कि देश के इंजीनियर इस विरासत से प्रेरणा लेकर एक उज्जवल और सतत भविष्य के निर्माण में योगदान देते

आज का इतिहास

1783 जॉर्जिया को रूस का संरक्षक बनाया गया।

1830 चिली में दास प्रथा समाप्त कर दी गई।

1834 पुर्तगाल में लिबरल युद्ध समाप्त हुआ।

1870 अमेरिका में पहली अंतरदेशीय रेल सेवा की शुरुआत हुई।

1911 भारत के प्रसिद्ध बाँसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म।

1937 प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का जन्म।

1944 300 लड़ाकू विमानों ने जर्मनी पर बम गिराए।

कमर्शियल वाहन की बिक्री सूचना

पार्टी का नाम	मॉडल	रजिस्ट्रेशन नं.	निर्माण वर्ष	पार्किंग स्थल
मेसर्स साईराम ट्रेडर्स	Mahindra_ FURIO17D	MP09 DJ6324	2024 डीजल	श्रीराम ऑटोमोबाईल इंदौर, सर्वे नं. 860/मिन 1,885,860/ मिन 1 पैकी 868,885/1,860 ग्राम निहालपुर, तहसील मुण्डी जिला इंदौर, म.प्र.

जब्त वाहन की बिक्री के लिए ''जहां है, जिस स्थिति में है'' के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

शाखा का पता : कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
पाचंवी मंजिल मेट्रो टॉवर, विजय नगर स्क्वेयर, ए.बी.रोड, मंगल सिटी मॉल के पास, इन्दौर-452010, संपर्क : 7798982480, 0731-4704049, 4704050

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी (डॉ. रिंकेश कुमार वैश्य) जिला इन्दौर

(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्रं.- जी11)

इन्दौर, दिनांक : 10/09/2025

क्रमांक/392/अकरी/2025 प्रकरण क्रमांक/....../ब-121/2025-26

''पेपर विज्ञप्ति''

प्रति,
सुरेश मस्कोले पिता श्री सुखरामजी मस्कोले
पता 1: मकान नं. 470, शांति नगर, साउथ एक्सटेंशन, महुगांव, महू जिला इन्दौर
पता 2: मकान नं. 60, जय नगर सेक्टर नं. 1, पीथमपुर जिला धार
पता 3: पी.ई.बी. स्टील लॉयड (इंडिया) लिमिटेड प्लाट नं. 03 बी, सेक्टर - खेड़ा, अंबाचंदा पीथमपुर, जिला धार

द्वारा : पेपर प्रकाशन

प्रार्थी **प्राधिकृत अधिकारी एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड पता: 10/1, एमजी रोड, इंदौर** द्वारा निवेदन किया गया है कि बंधक संपत्ति **प्लॉट नं. मकान नं. 470 शांतिनगर साउथ एक्सटेंशन महुगांव, महू जिला इन्दौर** पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अत: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इन्दौर कक्ष क्रमांक जी 11 में दिनांक **16-09-2025** को दोपहर **3:00 बजे** होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही जावेगी।

अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

विद्युत विभाग

E-mail: imcvidhyutvibhag@gmail.com

विज्ञप्ति क्र.: 25/25-26/
ई टेंडर C.E/E&M

निविदा सूचना

दिनांक: 10/09/2025

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1	2025-UAD-450598 10-09-2025	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 23 के अंतर्गत परदेशीपुरा सफेद मंदिर के सामने से आय. टी आय., ज्ञानसिंह प्रतिमा चौराहा तक सेन्ट्रल लाईट के क्षतिग्रस्त केबल एवं छोटे पोल की टूटी फुटी हण्डिया आदि बदलने संबंधी कार्य। (तृतीय आमंत्रण)	01 माह ₹7,07,856/-	₹2,000/- ₹7,100/-	17-09-2025 5:30 PM
2	2025-UAD-450601 10-09-2025	झोन क्र. 05 वार्ड क्र. 23 के अंतर्गत विश्वकर्मा सुमन वाटिका एवं माता प्रसाद तिवारी के घर के सामने उद्यान में अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था संबंधी कार्य। (तृतीय आमंत्रण)	01 माह ₹5,22,080/-	₹2,000/- ₹5,300/-	17-09-2025 5:30 PM
3	2025-UAD-450603 10-09-2025	झोन क्र. 20 वार्ड क्र. 04 के अंतर्गत आराधना नगर शिवमंदिर परिसर में प्रकाश व्यवस्था करने संबंधी कार्य। (तृतीय आमंत्रण)	01 माह ₹2,72,212/-	₹2,000/- ₹2,800/-	17-09-2025 5:30 PM
4	2025-UAD-450609 10-09-2025	झोन क्र. 01 वार्ड क्र. 10 के अंतर्गत छोटी कुम्हार खाडी एवं लक्ष्मीबाई रेल्वे स्टेशन के पास रिंगपोल लगाये जाने संबंधी कार्य। (तृतीय आमंत्रण)	01 माह ₹1,06,490/-	₹1,000/- ₹2,200/-	17-09-2025 5:30 PM
5	2025-UAD-450615 10-09-2025	झोन क्र. 01 वार्ड क्र. 16 के अंतर्गत केदार नगर स्थित उद्यान में प्रकाश व्यवस्था संबंधी कार्य। (तृतीय आमंत्रण)	01 माह ₹2,95,474/-	₹2,000/- ₹3,000/-	17-09-2025 5:30 PM
6	2025-UAD-450620 10-09-2025	झोन क्र. 01 वार्ड क्र. 16 के अंतर्गत केशव नगर स्थित उद्यान में प्रकाश व्यवस्था संबंधी कार्य। (तृतीय आमंत्रण)	01 माह ₹2,50,827/-	₹2,000/- ₹2,550/-	17-09-2025 5:30 PM
7	2025-UAD-450635 10-09-2025	झोन क्र. 06 वार्ड क्र. 24 के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर नवीन पोल लगाकर प्रकाश व्यवस्था करने संबंधी कार्य। (चतुर्थ आमंत्रण)	02 माह ₹15,32,281/-	₹2,000/- ₹11,500/-	25-09-2025 5:30 PM

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

नगर शिल्पज्ञ
नगर पालिक निगम, इन्दौर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

अनुलग्नक बी

इन्दौर विजय नगर शाखा
पता : प्लॉट नं.51, सत्य सांई सर्कल के पास, ए.बी. रोड़. विजय नगर, इंदौर म.प्र. 452010
संपर्क नं.: 0731-2426651 **मेल आईडी:** ubin0930857@unionbankofindia.bank

धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

प्रति,
1. ऋणी/यों
सांई पॉलीमर्स (साझेदारी फर्म)
द्वारा साझेदार
श्री रामदास विट्ठल मताडे, श्री कांतिलाल पटेल,
श्रीमती जया पटेल, श्रीमती पूजा कुँवर, श्रीमती मकबुल फातिमा
पता- फ्लैट नंबर-302 दुर्गा अपार्टमेंट, 43-बी राजेंद्र नगर इंदौर म.प्र-452012

2. जमानतदार/ओं
(1) मकबुल फातिमा पलसानिया प्लॉट नंबर-133, फ्लैट नंबर 201 सिद्धि विनायक अपार्टमेंट, राजेंद्र नगर इंदौर म.प्र
(2) पूजा कुँवर पिता परबत सिंह पंवार फ्लैट नंबर 302, तीसरी मंजिल दुर्गा अपार्टमेंट, राजेंद्र नगर इंदौर म.प्र.
(3) जया पटेल फ्लैट नंबर 202 प्लॉट नंबर 133 सिद्धि विनायक अपार्टमेंट धनवंतरी नगर इंदौर म.प्र.
(4) रामदास विट्ठल मताडे फ्लैट नंबर 102 शिवम अपार्टमेंट 225, धनवंतरी नगर इंदौर म.प्र.
(5) कांतिलाल पटेल 5/203 राजेंद्र नगर सेक्टर बी 1 से 65 इंदौर म.प्र
(6) परबत सिंह पंवार फ्लैट नंबर 302, तीसरी मंजिल दुर्गा अपार्टमेंट, राजेंद्र नगर इंदौर म.प्र.

प्रिय महोदय,
इन्दौर विजय नगर शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम-2002 की धारा 13(2) के तहत आपको जारी सूचना दिनांक **30.07.2025** को आपको आपके ऋण खाते की बकाया राशि चुकाने के लिए कहा गया था जिसे हमारे पास आपके अंतिम ज्ञात पते पर तामिल नहीं किया जा सका। अतः उक्त मांग सूचना की सामग्री इस समाचार पत्र में प्रकाशित की जा रही है।
आपके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा/ऋण सुविधाओं को **10/06/2024** को एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया गया है।
आपने सुविधाओं का लाभ उठाते हुए ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया है और बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित बनाया है। ऋण सुविधाओं और सुरक्षित संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

सुविधा का प्रकार	दिनांक 31.07.2025 तक बकाया राशि	अप्रयुक्त ब्याज दिनांक 31.07.2025 तक	दंड ब्याज (साधारण)	बैंक द्वारा वहन की गई लागत/प्रभार	कुल बकाया
SOD Account No. 191031100000229	13,18,119.26	2,29,587.00	0.00	0.00	15,47,706.26
कुल					15,47,706.26

दिनांक **31/07/2025** को बकाया राशि के साथ प्राप्त की गई ऋण सुविधाएं कुल बकाया राशि **रु. 15,47,706.26 रुपये (रु. पंद्रह लाख सैंतालीस हजार सात सौ छ: रुपये एवं छब्बीस पैसे मात्र)** जो कि सुरक्षित है

नीचे वर्णित बंधक अचल संपत्ति का विवरण :
संपत्ति 1: प्लॉट नं. बी-43, राजेंद्र नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित दुर्गा अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल का फ्लैट संख्या 301, जिसका सुपरबिल्टअप क्षेत्रफल 350 वर्गफुट है एवं जो श्री परबत सिंह पंवार के नाम पर है। **चर्तुसीमा:** पूर्व-302, पश्चिम-सरकारी स्कूल, उत्तर-रोड, दक्षिण-फ्लैट नं. 304
संपत्ति 2: प्लॉट नं. बी-43, राजेंद्र नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित दुर्गा अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल का फ्लैट संख्या 302, जिसका सुपरबिल्डअप क्षेत्रफल 350 वर्गफुट है एवं जो श्री परबत सिंह पंवार के नाम पर है। **चर्तुसीमा:** पूर्व-रोड, पश्चिम-फ्लैट नं. 301, उत्तर-रोड, दक्षिण-फ्लैट नं. 303

इसलिए, आप, नंबर 1, ऋणकर्ताओं एवं आप, नंबर 2 जमानतदार/ओं के रुप में उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में इस प्रकाशन की तारीख से **60 दिनों** के भीतर **रु. 15,47,706.26 रुपये (पंद्रह लाख सैंतालीस हजार सात सौ छ: रुपये एवं छब्बीस पैसे मात्र)** साथ में भविष्य के ब्याज एवं शुल्क का भुगतान करने के लिए मांग करते है।

इसका पालन करने में आपकी विफलता पर हम, सुरक्षित लेनदार, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के हकदार होंगे। अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार यह नोटिस प्राप्त होने के पश्चात बैंक की पूर्व सहमति के बिना आप संपत्तियों को स्थानांतरित नहीं कर सकते। कृपया सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर ध्यान दें।

कृपया ध्यान दें कि इस वर्तमान मांग सूचना के जारी होने पर सरफेसीय 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी किया गये हमारे सभी पिछली सूचना(ए) वापस ले ली गई है।

स्थान : इंदौर
दिनांक : 16-09-2025

आपका हितैषी
प्राधिकृत अधिकारी

CENTRUM Home Loans Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट एवं रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नं. 801, सेन्ट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400098,
CIN No. U65922MH2016PLC273826

कब्ज़ा नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संविदात्मक ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित बकाया राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया जाता है. ऋणी द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपति का कब्जा ले लिया है. ऋणी विशेष रूप से और आम जनता को एतद् द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपति का लेन-देन न करें और संपति के साथ कोई भी लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उस पर संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित राशि के प्रभार के अधीन होगा. ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है.

स.क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/लोन खाता नं./शाखा	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	डिमांड नोटिस की तिथि और कुल असाधारण बकाया रुपए	कब्जा ली गई तारीख
1.	IDRID24014906 जीतेन्द्र गांगले और इंदु बाई गांगले	अचल संपत्ति के अधिकार, भूखंड संख्या 225/13, प्रवेश 720 वर्ग फुट, 'महादेव तोतला नगर कॉलोनी', पिपलिया हाना तालाब के पास, तहसील एवं जिला- इंदौर-452016, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- 5 फुट गली, पश्चिम- रोड उत्तर- बाबूलाल चौहान का घर, दक्षिण- बाबूलाल सिसोदिया का घर	27/05/2025 रु. 18,94,351/- (रुपए अठारह लाख चौरानवे हजार तीन सौ इक्यावन मात्र)	10-9-2025

दिनांक : 16.9.2025, स्थान : मध्यप्रदेश **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक आपका अपना बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय, देवास - सीजन-1, पहली मंजिल, कालानी बाग, ए.बी. रोड, देवास (म.प्र.) 455001, दूरभाष क्रमांक 07272-251068

अचल संपत्ति हेतु अधिग्रहण की सूचना

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके ऋणगृहिताओं/जमानतदारों से सूचना प्राप्ति की दिनांक से 60 दिन की समयावधि में ऋण राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं/जमानतदारों ने अदायगी में त्रुटी की है अत: ऋणगृहिताओं/जमानतदारों तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित नियम 8 के अन्तर्गत प्राप्त कर लिया है। ऋणगृहिताओं/जमानतदारों को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करें यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक** के ऋणगृहिताओं/जमानतदारों के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्रं.	शाखा का नाम	ऋणी/सम्पत्ति मालिक/ जमानतदार का नाम व पता	मांग नोटिस दिनांक/ सांकेतिक कब्जा दिनांक/बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का पूर्ण विवरण/ चर्तुसीमायें एवं सम्पत्ति मालिक का नाम
1.	नलखेड़ा	**ऋणी: श्री गोकुल सिंह सौंधिया पिता श्री भंवर सिंह सौंधिया** पता: मकान नं. 164, वार्ड नं. 02 ग्राम पड़ाना तहसील, नलखेड़ा, जिला आगर मालवा (म.प्र.) **जमानतदार: श्री सज्जनसिंह सौंधिया पिता श्री भेरुसिंह सौंधिया,** पता : ग्राम पड़ाना, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा (म.प्र.)	16.06.2025 / 10.09.2025 ₹ 2,23,185.16 (अक्षरी राशि रु. दो लाख तेईस हजार एक सौ पचासी एवं पैसे सोलह) + ब्याज एवं अन्य खर्च	आवासीय भवन: आवासीय भवन क्रमांक 164, ग्राम पड़ाना वार्ड न. 02, तहसील नखलेड़ा, जिला आगर मालवा, **कुल क्षेत्रफल : 50 × 25 = 1250 वर्गफीट (116.17 वर्गमीटर) चर्तुसीमा: पूर्व में:** श्री जोरावर सिंह का मकान, **पश्चिम में:** आम रास्ता, **उत्तर में:** श्री रामलाल का मकान, **दक्षिण में:** श्री नारायण सिंह का मकान, **सम्पत्ति मालिक का नाम: श्री गोकुल सिंह सौंधिया पिता श्री भंवर सिंह सौंधिया**

दिनांक: 16.09.2025

प्राधिकृत अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, देवास

कार्यालय प्राधिकृत एवं उपवनमंडलाधिकारी, सेंधवा (सामान्य) वनमंडल सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.)

Email : sdoFTscndhwa@mp.gov.in Mob. No. 9424793040

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अधोलिखित सूची में उल्लेखित वन अपराध प्रकरण में जब्त मोटर साईकिल वाहन जिनका विवरण सूची में दर्ज है को म.प्र.वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 15 (4) के अंतर्गत अधिहृत (Confiscate) किया जाना प्रस्तावित है। किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा इनके मालिकाना हक या हित संबंधी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अ.क्र.	वन परिक्षेत्र का नाम	वन अपराध क्रमांक	प्रकरण दिनांक	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	वाहन का इंजन नंबर/चेचिस नंबर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	वरला	321/09	6.08.2025	MH- 19 AF-8683	मोटर साइकिल Hero HONDA SPLENDER नीला कलर, सफेद पट्टी	इंजन नंबर 5015M16803 चेचिस नंबर 05D16C174
2.	पानसेमल	415/18	7.08.2025	MP-46-ZF 7280	मोटर साइकिल Hero HF Delux, ब्लू रेड कलर	इंजन नंबर MF4-97CM-ACK-8-ACKA चेचिस नंबर MBLHAW381-S-5B54987
3.	पानसेमल	417/12	14.08.2025	GJ-5 AP 8406	मोटर साइकिल Hero HF Delux रंग रेड ब्लेक	चेचिस नंबर 00F20F12822
				बिना नंबर	मोटर साइकिल हीरो होंडा Achiever, रंग काला	चेचिस नंबर MBLKC0EMBGB01812
4.	वरला	321/10	23.08.2025	बिना नंबर	मोटर साइकिल होंडा शाईन एसपी, रंग ग्रे, लाल पट्टा	इंजन नंबर JC73ETOO92258 चेचिस नंबर ME4JC731AHTO54566
				MP-10-MN 8745	मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स, रंग लाल सफेद पट्टा	इंजन नंबर HA11EFD9K59187 चेचिस नंबर MBLHA11EWD9K5433
				बिना नंबर 7280	मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स, रंग काला सफेद पट्टा	इंजन नंबर HA11ENKGJ05179 चेचिस नंबर अस्पष्ट

उक्त अधिनियम की धारा 15 (5) के तहत उपयुक्त सूची में उल्लेखित मोटर साइकिल वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का हित रखनेवाले समस्त व्यक्तियों/संस्थाओं को कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी सेंधवा, वन मंडल सेंधवा (सामान्य) में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 07 दिवस का समय निर्धारित किया जाता है। नियत स्थल पर निर्धारित समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर बाद की अवधि में प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं होंगे तथा सूची में उल्लेखित वन अपराध प्रकरण में जप्त वाहन मोटर साइकिल के अधिहरण की एपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

G-18659/25

(ओमप्रकाश बिडारे)
प्राधिकृत अधिकारी
उप वनमंडलाधिकारी
सेंधवा (सामान्य)